

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल सीधी, जिला सीधी (म0प्र0)

Ph. 07822-252235, Fax- 253035 E-mail- dfot.sdh@mp.gov.in

क्रमांक / मा0चि0 / 323
प्रति,

सीधी दिनांक / 10 / 01 / 2023

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा म0प्र0

विषय:- रीवा सीधी सिंगरौली न्यू बी.जी. रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र बहरी की प्रभावित वन भूमि 34.32 हे0 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त व्यपवर्तन प्रस्ताव भाग-II के संबंध में।

संदर्भ:- आनलाइन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/RAIL/33238/2018 दिनांक 26.05.2018 आवेदक उप मुख्य अभियन्ता निर्माण प0म0रे0 जबलपुर का प्रस्ताव दिनांक 26.05.2018 एवं प्राप्त दिनांक 10.09.2018।

—000—

उपरोक्त विषय में आवेदक भारतीय रेलवे की ओर से उप मुख्य अभियन्ता निर्माण प0म0रे0 जबलपुर द्वारा प्रस्तावित रीवा सीधी सिंगरौली न्यू बी.जी. रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र बहरी की प्रभावित वन भूमि 34.32 हे0 वनक्षेत्र में प्रस्तावित रेल लाईन निर्माण के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव आन लाईन सम्मिट किया गया, जिसका प्रपोजल नम्बर FP/MP/RAIL/33238/2018 दिनांक 26.05.2018 को प्राप्त हुआ।

प्रस्ताव में यूजर एजेन्सी के प्रतिनिधि के साथ आवेदित रीवा सीधी सिंगरौली न्यू बी.जी. रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र बहरी की प्रभावित वन भूमि 34.32 हे0 वनक्षेत्र का संयुक्त स्थल निरीक्षण कराया गया तथा मेरे द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 12.12.2022 को यूजर एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री गिरधर मीणा एवं वन परिक्षेत्राधिकारी बहरी की उपस्थिति में किया गया। प्रस्तावित रेल लाईन के मार्ग में प्रभावित वनभूमि एवं अन्य बातों के सम्बन्ध में विवरण निम्नानुसार है :-

1. प्रस्तावित रेल लाईन में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र का विवरण

परिक्षेत्र	वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल हे.	प्रस्तावित क्षेत्र की विधिक स्थिति	साइट क्वालिटी एवं क्षेत्र का घनत्व	प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यप्राणी	प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने वाले वनस्पतियाँ
बहरी	गजरहा	P 946	5.73	भा.व.अ. 1927 की धारा 4 में नोटीफाइड है।	IVB/0.8	Bear, Leopard, Hyna, Jackal, Monkey, Langoor, Chinkara, Peacock	सागौन, खैर, हल्दू, महुआ, तेन्दू, प्लास, आचार, सेधा, जामुन
	बहरी	P 942	10.75		IVB /0.7		
	देवगवां	P 932	17.84		IVB /0.5		
		Total	34.32				

ई-सेल प्रिण्ट
10/01/2023

2. प्रभावित वन क्षेत्र अन्तर्गत स्थित वृक्षों की संख्या का गोशवारा-

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30) cm.	(31-60) cm.	(61-90) cm.	(91-120) cm.	(121-150) cm.	(>150) cm.	Total
1	Anogeissus latifolia	धवा	0	2	0	0	0	0	2
2	Dalberiga	शिशू	3	4	4	8	4	0	23
3	Gmelina arborea	खम्हार	23	42	121	12	2	1	201
4	Acacia catechu	खैर	1	0	0	0	0	0	1
5	Zizyphus mauritiana Lam	बेरी	34	22	1	0	0	0	57
6	Aegle marmelos (L) Correa	बेल	0	6	0	0	0	0	6
7	Limonia acidissima L	कैथा	0	0	1	0	0	0	1
8	Ocimum tenuiflorum	ममरी	4	6	9	1	1	1	22
9	Madhuca Indica	महुआ	0	0	1	3	12	39	55
10	Gardenia turgida Roxb	भड़ार	12	1	0	0	0	0	13
11	Acacia leucophloea	रेउजा	0	0	0	0	2	0	2
12	Albizia procera (roxb Benth)	सिरस	0	1	1	0	0	0	2
13	Holoptelea intergrifolia	चिरुल	3	7	5	0	3	2	20
14	Lannea coromandelica	जिगना	3	20	0	0	0	0	23
15	Adina cordifolia	हल्दू	1	2	0	0	0	0	3
16	Diospyros Montaroxb	पतिमन	0	1	0	0	0	0	1
17	Butea frondosa	पलाश	14	13	5	0	0	0	32
18	Teminalia alataheyneexroth	साजा	0	3	0	0	0	0	3
19	Tectona Grandis	सागौन	9994	1780	11	0	0	0	11785
20	Lagerstroemia Parviflora	सेधा	424	1146	703	6	2	0	2281
21	BombaxceibaL	सेमल	0	1	1	0	0	0	2
22	Wrightia tinctoria R.Br.	दूधी	54	74	5	4	0	0	137
23	Buchanania Lanzan Spreng	चार	1	8	1	0	0	0	10
24	Diospyros Melanoxylon	तेन्दू	982	781	43	0	0	0	1806
25	Eugenia Jambolana	जामुन	1	1	0	0	0	0	2
26	Azadirachta Indica	नीम	33	33	9	3	1	0	79
27	Mangifera Indica	आम	0	1	1	1	1	1	5
Total			11587	3955	922	38	28	44	16574

3. अनुमानित उत्पादन

कक्ष क्र.	कुल अनुमानित उत्पादन			
	वृक्ष संख्या	इमारती	जलाऊ	योग
पी 942	3113	71.187	78.803	149.990
पी 946	4962	51.709	126.549	178.258
पी 932	8499	135.731	93.947	229.678

4. वन क्षेत्र में प्रस्तावित रेल लाइन के संबंध में खोजे गये 3 विकल्पों का विवरण :- यूजर एजेन्सी द्वारा मौके से तलाशे गये तीन विकल्पों का विवरण मानचित्र में दर्शाया जाकर संलग्न किया गया है। प्रस्तावित रेल लाइन में प्रभावित वन क्षेत्र 34.32 हे. न्यूनतम एवं आवश्यक पाया गया है।
5. प्रस्तावित रेल लाइन में प्रभावित वनक्षेत्र किसी संरक्षित क्षेत्र/अभ्यारण्य का भाग नहीं है। प्रस्तावित वनक्षेत्र के आस-पास स्थित संरक्षित क्षेत्र/अभ्यारण्य सोन घड़ियाल अभ्यारण्य (गोपद नदी बहरी पुल की सीमा तक) स्थित है। अभ्यारण्य की अधिसूचित सीमा से वास्तविक दूरी निम्नानुसार है :-

क्र.	कक्ष क्र.	संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित बिन्दु (कोर जोन) से प्रस्तावित स्थल की दूरी (कि.मी. में)	संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन की दूरी (कि.मी. में)
1.	P 946	6.570	5.570
2.	P 942	9.040	8.040
3.	P 932	4.237	3.237

6. प्रस्तावित रेल लाइन में प्रभावित वन भूमि अन्तर्गत स्वीकृत/वितरित/प्रस्तावित वनाधिकार हक प्रमाण-पत्र एवं आवण्टित वन भूमि का विवरण- प्रभावित वनक्षेत्र अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी 942 रकवा 0.054 हे. में श्री त्रयंबिकेश सिंह को वनाधिकार पत्र प्रदाय किया गया है।
7. **प्रतिपूरक वनीकरण** - परियोजना में प्रभावित वनभूमि के दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण की 11 वर्षीय योजना तैयार की जाकर तकनीकी स्वीकृति जारी करने के अनुरोध के साथ संलग्न है। विवरण निम्नानुसार है :-

प्रभावित वनभूमि	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकवा हे. में	लागत राशि	योजना अवधि
34.32	मझौली	P 1349	38.020	16854835	2023-24 to 2033-34
	बहरी	P 950	30.62	13242248	2023-24 to 2033-34
34.32	-	-	68.64	30097083	11 वर्षीय

9. प्रस्तावित रेल लाइन में प्रभावित वन भूमि की शासन द्वारा निर्धारित दर से नेट प्रजेन्ट वैल्यू जमा करने एवं प्रतिपूरक वनीकरण की लागत राशि जमा करने बावत् यूजर एजेन्सी का वचन पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
10. प्रस्तावित रेल लाइन में प्रभावित वन भूमि में संबंध में कलेक्टर सीधी का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र यूजर एजेन्सी से प्राप्त होना शेष है।

प्रकरण में पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 35000 यूजर एजेन्सी द्वारा जमा होना बताया गया है किन्तु पुष्टिकरण हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रकरण में प्रस्तावित रेलवे लाइन परियोजना में प्रभावित वनभूमि भाग-I Submit करते समय प्रभावित वन क्षेत्र 26.50 हे. आनलाइन प्रस्ताव में उल्लेखित होना बताया गया था, किन्तु संयुक्त स्थल निरीक्षण के वक्त प्रभावित वनक्षेत्र परिवर्तित होकर 34.32 हे. हो गया है। चूंकि भाग-I में यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व प्रस्तावित 26.50 हे. के स्थान पर प्रभावित वास्तविक वनक्षेत्र 34.32 हे. संशोधित नहीं किया जा सका, इस कारण भाग-II आनलाइन प्रविष्टि नहीं हो सकी। अतः उपरोक्त प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तन आफलाइन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/RAIL/33238/2018 में भाग-II की आफलाइन की प्रविष्टि की जाकर प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसित है। प्रस्ताव आफलाइन दो प्रति में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- प्रस्ताव

पृ० क्रमांक/मा०चि०/324

प्रतिलिपि:-1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2. यूजर एजेन्सी उप मुख्य अभियन्ता निर्माण प०म०रे० जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



वनमण्डल अधिकारी
सीधी (म०प्र०)

सीधी, दिनांक/10/01/2023

वनमण्डल अधिकारी
सीधी (म०प्र०)

DFO Inspection Report

Name of the Project - Sidhi-Singrauli New Rail Line Project a Part of Lalitpur -Singrauli Rail line project.

Proposal No. No. FP/MP/RAIL/33238/2018

Name of District - Sidhi, Forest Division Sidhi MP

Date of Inspection - 12.12.2022

Sr.No.	Particular	Inspection Report By CCF/DFO(T)
1.	Extent is hectares.	P-946 = 5.73 P-932 = 17.84 P-942 = 10.75 Total = 34.32 ha.
2.	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	P-942 1- N-24° 26'19.85" E-82° 11'58.13" 2- N-24° 26'21.75" E-82° 12'03.32" 3- N-24° 25'52.94" E-82° 12'14.81" 4- N-24° 25'52.96" E-82° 12'13.87" P-932 Part A 1- N-24° 27'07.21" E-82° 08'59.99" 2- N-24° 27'07.31" E-82° 09'15.49" 3- N-24° 27'05.35" E-82° 09'20.98" 4- N-24° 27'02.86" E-82° 09'05.36" P-932 Part B 1- N-24° 27'06.66" E-82° 08'16.19" 2- N-24° 27'07.33" E-82° 08'45.96" 3- N-24° 27'05.22" E-82° 08'44.28" 4- N-24° 27'01.41" E-82° 08'18.01" P-946 1- N-24° 26'26.66" E-82° 05'46.05" 2- N-24° 26'32.58" E-82° 06'17.90" 3- N-24° 26'29.87" E-82° 06'18.61" 4- N-24° 26'23.10" E-82° 05'46.78"
3.	Legal status of the forest land (Protected forest, reserved forests, revenue forest lands or any other forest land)	Protected forest
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Area demarcated
5.	Any signs of encroachment.	प्रभावित वनक्षेत्र अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी 932 एवं पी 946 में कोई अतिक्रमण नहीं है। कक्ष क्र. पी 942 रकवा 0.054 हे. में श्री त्रयंबिकेश सिंह वनाधिकार पत्र प्रदाय किया गया है।
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the user Agency in case of violation of the FC Act and guideline there under.	No

7.	Status of vegetation, Site quality, species composition etc.	कक्ष क्र.	पायी जाने वाली प्रजाति	प्रभावित वनक्षेत्र में स्थित वृक्षों की संख्या	साइड क्वालिटी / घनत्व																
		P 946	सागौन, खम्हार सेधा	4962	IVB/0.8																
		P 942	सागौन, सेधा, खैर, हल्दू, महुआ	3113	IVB /0.7																
		P 932	सागौन, शिशू, तेन्दू, सेधा	8499	IVB /0.5																
			योग	16574																	
8.	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species. bird life reptiles. butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife) Any latest census of wildlife in this area.	Bear, Leopard, Hyna, Jackal, Monkey, Langoor, Chinkara, Peacock																			
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	क्षेत्र में सागौन, खैर, हल्दू, महुआ, तेन्दू, प्लास, आचार, सेधा, जामुन आदि प्रजातियां पायी जाती है।																			
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the working Plan and, if not, why?	प्रभावित वन क्षेत्र आर.डी.एफ. प्रबंधन वृत्त के अन्तर्गत प्रबंधित है।																			
11.	Importance of the area from historical or religious point of view	No																			
12.	Any dependent persons/families on this land	प्रभावित वनक्षेत्र अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी 942 रकबा 0.054 हे. में श्री त्रयंबिकेश सिंह को वनाधिकार पत्र प्रदाय किया गया है।																			
13.	Any displacement of persons proposed.	उपरोक्तानुसार।																			
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	यूजर एजेन्सी द्वारा परियोजना में होने वाले विस्थापन की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस सम्बन्ध में प्रथक से जानकारी प्रेषित की जावेगी।																			
15.	Compensatory a forestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of Patches in case the area should be more than 10 kms.	प्रभावित वनभूमि 34.32 हे. के दुगने बिगड़े वन क्षेत्र 68.64 हे. में प्रतिपूरक वनीकरण प्रस्तावित है, जिसमें 38.02 हे.परिक्षेत्र मझौली एवं शेष 30.62 हे. वन परिक्षेत्र बहरी में कराया जावेगा। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र वृक्षारोपण के उपयुक्त है।																			
16.	Proposed area should not be part of any protected area, Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10kms.	प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र का किसी भी संरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र के निकटतम स्थित संरक्षित क्षेत्र सोनघड़ियाल अभ्यारण्य आता है जिसकी दूरी निम्नानुसार है:- <table><tr><td>क्र.</td><td>कक्ष क्र.</td><td>संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित बिन्दु (कोर जोन) से प्रस्तावित स्थल की दूरी (कि.मी. में)</td><td>संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित इकोसिस्टिव जोन की दूरी (कि.मी. में)</td></tr><tr><td>1.</td><td>P 946</td><td>6.570</td><td>5.570</td></tr><tr><td>2.</td><td>P 942</td><td>9.040</td><td>8.040</td></tr><tr><td>3.</td><td>P 932</td><td>4.237</td><td>3.237</td></tr></table>				क्र.	कक्ष क्र.	संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित बिन्दु (कोर जोन) से प्रस्तावित स्थल की दूरी (कि.मी. में)	संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित इकोसिस्टिव जोन की दूरी (कि.मी. में)	1.	P 946	6.570	5.570	2.	P 942	9.040	8.040	3.	P 932	4.237	3.237
क्र.	कक्ष क्र.	संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित बिन्दु (कोर जोन) से प्रस्तावित स्थल की दूरी (कि.मी. में)	संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित इकोसिस्टिव जोन की दूरी (कि.मी. में)																		
1.	P 946	6.570	5.570																		
2.	P 942	9.040	8.040																		
3.	P 932	4.237	3.237																		
17.	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in the area.	प्रभावित वनक्षेत्र अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी 942 0.054 हे. में श्री त्रयंबिकेश सिंह को वनाधिकार पत्र प्रदाय किया गया है।																			

18.	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	रेलवे लाइन के निर्माण से परियोजना के आस-पास रहने वाले लोगों को आवागमन की सुविधा होगी एवं रोजगार उपलब्ध होगा।
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	आवश्यक नहीं है।
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	न्यूनतम वनभूमि प्रभावित होने के संबंध में प्रस्तावित विकल्प के अलावा अन्य दो विकल्पों का यूजर एजेंसी द्वारा परीक्षण/अध्ययन किया गया। मौजूदा प्रस्ताव उपयुक्त पाया गया।
21.	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum	यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तावित रेल परियोजना में न्यूनतम वनभूमि उपयोग करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	परियोजना में प्रभावित वनभूमि में स्थित विभिन्न प्रजातियों के कुल 16574 वृक्षों में से यूजर एजेंसी द्वारा न्यूनतम एवं आवश्यक वृक्षों की ही कटाई की जावेगी।
23.	Any other issue of significance	No
24.	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	प्रस्तावित रेलवे लाइन परियोजना प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि 34.32 हे. व्यपवर्तित प्रस्ताव क्र. FP/MP/RAIL/33238/2018 वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुसंधित है।

Divisional Forest Officer Sidhi (M.P.)
Place. Sidhi
Date.....

वन गण्डल अधिकारी
वन गण्डल सीधी